

नियमावली-07 नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में किसी व्यवस्था का विवरण जो जन प्रतिनिधियों के साथ परामर्श, या उनके द्वारा प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद है

संबंधित अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अन्य दस्तावेज जो सामान्यतया नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं।

केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009, विश्वविद्यालय के संविधि और नियम और विनियम, वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा रिपोर्ट, छात्रों की जानकारी, छात्रों के परिणाम, सांविधिक प्राधिकरणों के एजेंडा और कार्यवृत्त, प्रकोष्ठों और क्लबों, वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन प्रतिवेदन, एनईपी 2020 कार्यान्वयन योजना, मानक संचालन प्रक्रियाएं से संबंधित जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

निम्नलिखित के साथ परामर्श या निम्न के द्वारा प्रतिनिधित्व की व्यवस्था

- ए) नीति निर्माण/नीति कार्यान्वयन में जन प्रतिनिधि
- बी) आगंतुकों के लिए दिन व समय का आवंटन
- सी) आरटीआई आवेदकों द्वारा अक्सर मांगे जाने वाले प्रकाशनों को प्रदान करने के लिए सूचना और सुविधा काउंटर (आईएफसी) का संपर्क विवरण

आवश्यकता पड़ने पर अभिभावकों या जनता के अन्य सदस्यों से परामर्श लिया जाता है। संबंधित हितधारकों को व्यक्तिगत रूप से या वेबसाइट के माध्यम से पूछताछ करने, प्रश्न पूछने और जानकारी एकत्र करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जन प्रतिनिधि विश्वविद्यालय के कार्य समय के दौरान किसी भी समय आ सकते हैं।

डॉ. राजीव कुमार सिंह सीपीआईओ हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय ई-मेल: rajeevsingh@cuh.ac.in	प्रो. आनंद शर्मा प्रथम अपीलीय अधिकारी हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय ई-मेल: anandsharma@cuh.ac.in
आरटीआई-कार्यालय प्रशासनिक ब्लॉक कक्ष संख्या- 144 हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय मोबाइल नंबर- 01285-260131 ई-मेल: cpio@cuh.ac.in	

महत्वपूर्ण नीतियां बनाते समय या निर्णयों की घोषणा करते समय, जो प्रक्रिया को और अधिक इंटरैक्टिव बनाने के लिए जनता को प्रभावित करते हैं, पिछले एक वर्ष में लिए गए नीतिगत निर्णय/ कानून, सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया की रूपरेखा, नीति तैयार करने से पहले परामर्श की व्यवस्था की रूपरेखा, सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करें

- विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई सभी महत्वपूर्ण नीतियां विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
<http://www.cuh.ac.in/committeeminute.aspx>
<https://www.cuh.ac.in/committee-finance.aspx>
<https://www.cuh.ac.in/committee-academic.aspx>
<https://www.cuh.ac.in/committee-university-court.aspx>
- जब भी आवश्यक हो, विश्वविद्यालय द्वारा छात्र-अभिभावकों की बैठक का आयोजन किया जाता है। स्कूल ऑफ लॉ (सीयूएच) में समर्पित कानूनी सहायता क्लिनिक चल रहा है जो आरटीआई मामलों में किसी भी आवेदक/ जनता द्वारा आवश्यक होने पर परामर्श भी प्रदान करता है।
- जनसभाओं से संबंधित नोटिस और सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से व्यापक रूप से परिपत्रित की जाती है।